

फर्द अहकाम
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

मुद्रक:- श्रीगणेश, मावली

दुर्गेश विपक्षी चारुलता
समा 53,188/24 पत्रावली संख्या 86/24 सन्

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी तथा
सूचनाएं जारी की गई

03/6/24

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई।
प्रति./विपक्षी/रिप्लो. को जरिये समान/
नोटिस तलब किये जाकर पत्रावली बाद
तलबी दि. 28/6/24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

19/06/2024

पत्रावली अधिवक्ता वादी मय वादी द्वारा प्रार्थना
पत्र तलबी मय बाद विज्ञो का पेश करने पर तलब की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी मय
स्वयं वादी द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र तलबी मय
विज्ञो का पेश कर बाद को इसी स्तर पर विज्ञो किया
जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता वादी एवं स्वयं वादी
को प्रार्थना पत्र बाद विज्ञो पर सुना गया। प्रार्थना पत्र
बाद विज्ञो को पढ़कर अधिवक्ता वादी मय वादी को सुनाया
गया। जिसे सुन समझ कर सही होना स्वीकार किया।
वादी की पहचान अधिवक्ता वादी द्वारा की गई।

चूंकि अधिवक्ता वादी मय वादी अब इस वाद में कोई
कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा वाद को इसी स्तर पर विज्ञो
कर खारिज करवाना चाहते हैं। ऐसे में वाद को आगे
थलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वादी द्वारा
उपसृत प्रार्थना पत्र बाद विज्ञो का स्वीकार किया जाकर वाद
पत्र अन्तर्गत धारा 53,188/24 राजस्थान कावल्कारी
अधिनियम का इसी स्तर पर विज्ञो फरमाया जाकर खारिज
किया जाता है। पत्रावली फैसल कुमार होकर नम्बर से कम है।

निर्णय सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

दुर्गेश
I
ON
A

